This is a digitally signed gazette, to verify click here.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला वीरवार 29 सितम्बर, 2011/7 आश्विन, 1933

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 27 सितम्बर, 2011

संख्या एल0 एल0 आर0–डी0(6)–20/2011–लेज.–हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 24–9–2011 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्यांक 16) को वर्ष 2011 के अधिनियम संख्यांक 36 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करती हैं।

आदेश द्वारा,

अवतार चन्द डोगरा,
प्रधान सचिव (विधि)।

2011 का अधिनियम संख्यांक 36

हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2011

(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 24 सितम्बर, 2011 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 9) का और संशोधन करने के लिए **अधिनियम ।**

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. **संक्षिप्त नाम.**–इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2011 है ।

2. **धारा 6–क का संशोधन.**–हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 की धारा 6–क में ,–

(क) उपधारा (1) में, "पन्द्रह दिन" शब्दों के स्थान पर "तीस दिन" शब्द रखें जाएंगे; और

(ख) उपधारा (2) में, "पूर्ववर्ती पाक्षिक अवधि के लिए पाक्षिक आधार पर देय कर की पूर्ण रकम" शब्दों के स्थान पर "पूर्ववर्ती मास की अवधि के लिए मासिक आधार पर देय कर की पूर्ण रकम ऐसे मास के अवसान के तीस दिन के भीतर" शब्द रखे जाएंगे ।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 36 of 2011

THE HIMACHAL PRADESH TAX ON ENTRY OF GOODS INTO LOCAL AREA (SECOND AMENDMENT) ACT, 2011

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 24TH SEPTEMBER, 2011)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area Act, 2010 (Act No. 9 of 2010).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area (Second Amendment) Act, 2011.

2. Amendment of section 6-A.—In section 6-A of the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area Act, 2010,-

(a) in sub-section (1), for the figures and word "15 days", the figures and word "30 days" shall be substituted; and

(b) in sub-section (2), for the words "fortnightly basis for the period of preceding fortnight", the words and figures "monthly basis for the period of preceding month within 30 days from the expiry of such month" shall be substituted.

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 27 सितम्बर, 2011

संख्या एल0 एल0 आर0–डी0(6)–25 / 2011–लेज.–हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 24–9–2011 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्यांक 24) को वर्ष 2011 के अधिनियम संख्यांक 37 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करती हैं।

आदेश द्वारा,

अवतार चन्द डोगरा,
प्रधान सचिव (विधि)।

2011 का अधिनियम संख्यांक 37

हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन अधिनियम, 2011

(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 24 सितम्बर, 2011 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्यांक 16) का और संशोधन करने के लिए **अधिनियम ।**

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित होः–

1. **संक्षिप्त नाम.–**इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन अधिनियम, 2011 है ।

2. **धारा 4–क का संशोधन.**–हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 (जिसे इसमें इसके पश्चात "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 4–क की उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अन्तःस्थापित की जाएंगी अर्थात् :–

"(3–क) उपधारा (1) में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे व्यक्तियों को, विहित रीति में जिला के प्रभारी सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी को, प्रत्येक मास, जिसके दौरान उसके द्वारा संग्रहण किया गया था, की समाप्ति के पांच दिन के भीतर प्रत्येक मास ट्रेज़री चालान सहित विवरणी देनी होगी ।

(3–ख) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति यदि प्रर्याप्त हेतुक के बिना उपधारा (3–क) के उपबन्धों की अपेक्षाओं का पालन करने में असफल रहता है तो आयुक्त या अधिनियम की धारा 7 के अधीन उसकी सहायता के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् उसे पांच हज़ार रुपए से अनधिक की राशि शास्ति के रुप में संदत्त करने का निदेश देगा ।

(3–ग) यदि इस अधिनियम के अधीन कर संदत्त करने के लिए दायी कोई व्यक्ति उस द्वारा देय कर की रकम संदत्त करने में असफल रहता है, तो वह कर की रकम के अतिरिक्त, अन्तिम तारीख से ठीक पश्चात्वर्ती तारीख से, जिसको कि व्यक्ति ने इस अधिनियम के अधीन कर संदत्त किया होता, उस द्वारा देय और संदेय कर की रकम पर प्रतिमास एक प्रतिशत की दर से एक मास की अवधि के लिए और तत्पश्चात् डेढ़ प्रतिशत प्रतिमास की दर से, जब तक व्यतिक्रम जारी रहता है, साधारण ब्याज संदत्त करने का दायी होगा ।"।

3. **नई धारा 6–क का अन्तःस्थापन.**–मूल अधिनियम की धारा 6 के पश्चात निम्नलिखित नई धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"6–क. इलैक्ट्रॉनिक डाटा पद्धति आदि के माध्यम से अभिलेखों के अनुरक्षण के लिए प्रक्रिया–(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रभावी कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए, प्रक्रिया से संबधित, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्ध और जारी किए गए निदेश यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

(2) जहाँ कोई सूचना, संसूचना या प्रज्ञापन किसी इलैक्ट्रॉनिक डाटा प्रक्रिया पद्धति द्वारा तैयार किया गया है और जिसकी तामील किसी व्यौहारी या व्यक्ति पर समुचित रुप से कर दी गई है तो उक्त सूचना, संसूचना या प्रज्ञापन को किसी अधिकारी या व्यक्ति द्वारा व्यैक्तिक रुप से हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित नहीं होगा और उक्त सूचना,संसूचना या प्रज्ञापन इस आधार पर अविद्यिमान्य नहीं समझा जाएगा कि उसे ऐसे अधिकारी या व्यक्ति द्वारा व्यैक्तिक रुप से हस्ताक्षरित नहीं किया गया है।

(3) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध के अधीन ऑन लाइन आवेदन करता है, तो उससे ऐसा आवेदन अपने अंकीय चिह्नंक के अधीन करना अपेक्षित होगाः

परन्तु जहाँ ऐसा आवेदन किसी अंकीय चिह्नंक को लगाए बिना दायर किया गया है, तो उक्त व्यक्ति से, ऑन लाइन आवेदन करने के सात दिन के भीतर हिमाचल प्रदेश सरकार के आबकारी एवं कराधान विभाग की ऑफिशियल वैबसाइट से यथा मुद्रित ऐसे इलैक्ट्रॉनिकली किए गए आवेदन की सम्यक् रुप से हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी समुचित प्राधिकारी को प्रस्तुत करनी अपेक्षित होगी, ऐसा न करने पर इस प्रकार किया गया आवेदन बिना किसी आगामी सूचना के नामंजूर कर दिया जाएगा ।

(4) व्यक्ति जो अपेक्षित अनुसंलग्नकों सहित विवरणी(यों) को इलैक्ट्रॉनिकली दायर करता है, वह उसे (उन्हें) अपने अंकीय चिह्नंक लगाकर अधिप्रमाणित करेगाः

परन्तु जहाँ ऐसी विवरणी(यों) को किसी अंकीय चिह्नक को लगाए बिना दायर किया गया है तो उक्त व्यक्ति से, ऐसी विवरणी(यों) को दायर करने की अन्तिम तारीख के पन्द्रह दिन के भीतर हिमाचल प्रदेश सरकार के आबकारी एवं कराधान विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट से सम्यक् रुप से मुद्रित ऐसे इलैक्ट्रॉनिकली दायर की गई विवरणी(यों) की सम्यक् रुप से हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी समुचित प्राधिकारी को प्रस्तुत करनी अपेक्षित होगी । यदि ऐसा व्यक्ति ऐसा करने में असफल रहता है तो वह पांच हज़ार से अनधिक राशि शास्ति के रुप में संदत्त करने के लिए दायी होगा।''।

————————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 37 of 2011

THE HIMACHAL PRADESH TAXATION (ON CERTAIN GOODS CARRIED BY ROAD) AMENDMENT ACT, 2011

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 24TH SEPTEMBER, 2011)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Taxation(on Certain Goods Carried by Road) Act, 1999(Act No. 16 of 1999).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Taxation (on Certain Goods Carried by Road) Amendment Act, 2011.

2. Amendment of section 4-A.—(1) In section 4-A of the Himachal Pradesh Taxation (on Certain Goods Carried by Road) Act, 1999 (hereinafter referred to as the "principal Act"), after sub-section (3), the following sub-sections shall be inserted, namely:—

"(3-a) Such person as specified in sub-section(1) shall in the prescribed manner furnish a return every month to the Assistant Excise and Taxation Officer -Incharge of the District, within five days of the close of each month during which collection was made by him alongwith the treasury challan.

(3-b) If a person specified in sub-section (1), fails without sufficient cause to comply with the requirements of the provisions of sub-section (3-a), the Commissioner or any person appointed to assist him under section 7 of the Act, may, after giving such person a reasonable opportunity of being heard, direct him to pay by way of penalty a sum not exceeding five thousand rupees.

(3-c) If any person liable to pay tax under this Act, fails to pay the amount of tax due from him, he shall, in addition to the amount of tax, be liable to pay simple interest on the amount of tax due and payable by him at the rate of one percentum per month, from the date immediately following the last date on which the person should have paid the tax under this Act, for a period of one month, and thereafter, at the rate of one and a half percentum per month till the default continues." .

3. Insertion of new section 6-A.—After section 6 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:—

"6-A. Procedure to maintain records through electronic data system etc.—(1) For the purpose of effective implementation of the provisions of this Act, the provisions of the Information Technology Act, 2000 and the rules made and directions issued thereunder, relating to procedure, shall apply mutatis mutandis.

(2) Where any notice, communication or intimation is prepared on any electronic data processing system and is properly served on any dealer or person, the said notice, communication or intimation shall not be required to be personally signed by any officer or person and the said notice, communication or intimation shall not be deemed to be invalid on the ground that it is not personally signed by such officer or person.

(3) Any person who makes an on-line application under any of the provisions of this Act, shall be required to make such application under his digital signature:

Provided that where such application is filed without affixing digital signature, the said person shall be required to submit to the appropriate authority, a duly signed hard copy of such electronically made application as printed from the official website of the Excise and Taxation Department, Government of Himachal Pradesh within seven days of making an on-line application, failing which the application so made shall be rejected without any further notice.

(4) The person who files return(s) alongwith the requisite enclosures electronically shall authenticate the same by affixing his digital signatures:

Provided that where such return(s) is filed without affixing digital signature, the said person shall be required to submit to the appropriate authority, a duly signed hard copy of such electronically filed return(s) duly printed from the official website of the Excise and Taxation Department, Government of Himachal Pradesh, within fifteen days of the last date for filing of such return(s). If such person fails to do so, he shall be liable to pay by way of penalty a sum not exceeding five thousand rupees.".

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 27 सितम्बर, 2011

संख्या एल0 एल0 आर0–डी0(6)–21 / 2011–लेज.–हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 24–9–2011 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्यांक 17) को वर्ष 2011 के अधिनियम संख्यांक 38 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करती हैं।

आदेश द्वारा,

अवतार चन्द डोगरा,
प्रधान सचिव (विधि)।

2011 का अधिनियम संख्यांक 38

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2011

(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 24 सितम्बर, 2011 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए **अधिनियम** ।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. **संक्षिप्त नाम.**–इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2011 है ।

2. **धारा 4 का संशोधन.**–हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (6) के खण्ड (ख) और (ग) में "2,00,000 / –" अंकों और चिन्हों के स्थान पर "4,00,000 / –" अंक और चिन्ह रखे जाएंगे ।

3. **धारा 14 का संशोधन.**–मूल अधिनियम की धारा 14 में, उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"परन्तु व्यौहारी ऐसा आवेदन विहित रीति में इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकेगा । "।

4. **धारा 28 का संशोधन.**–मूल अधिनियम की धारा 28 में, प्रथम परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित द्वितीय परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"परन्तु यह और कि आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) के प्रतिदाय के लिए तथा ऐसे प्रतिदाय के लिए पश्चात्वर्ती अनुमोदन हेतु आवेदन विहित रीति में इलेक्ट्रॉनिकली भी किया जा सकेगा । "।

5. **नई धारा 56–क का अन्तःस्थापन.**–इलेक्ट्रॉनिक डाटा पद्धति आदि के माध्यम से अभिलेखों के अनुरक्षण के लिए प्रक्रिया.—(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रभावी कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए, अंकीय चिह्नक, इलेक्ट्रॉनिक नियमन, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का अधिकार, अभिस्वीकृति और प्रेषण, सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों, सुरक्षित अंकीय चिह्नक और अंकीय चिह्नक प्रमाणपत्रों से सम्बन्धित, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्ध और जारी किए गए निदेश यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

(2) जहां कोई सूचना, संसूचना या प्रज्ञापन किसी इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रक्रिया पद्धति द्वारा तैयार किया गया है और जिसकी तामील किसी व्यौहारी या व्यक्ति पर समुचित रूप से कर दी गई है तो उक्त सूचना, संसूचना या प्रज्ञापन को किसी अधिकारी या व्यक्ति द्वारा व्यैक्तिक रूप से हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित नहीं होगा और उक्त सूचना, संसूचना या प्रज्ञापन इस आधार पर अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा कि उसे ऐसे अधिकारी या व्यक्ति द्वारा व्यैक्तिक रूप से हस्ताक्षरित नहीं किया गया है ।

(3) कोई भी व्यक्ति या व्यौहारी, जो इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध के अधीन ऑन लाईन आवेदन करता है तो उससे ऐसा आवेदन अपने अंकीय चिह्नक के अधीन करना अपेक्षित होगाः

परन्तु जहां ऐसा आवेदन किसी अंकीय चिह्नक को लगाए बिना दायर किया गया है तो उक्त व्यक्ति या व्यौहारी से ऑन लाईन आवेदन करने के सात दिन के भीतर, हिमाचल प्रदेश सरकार के आबकारी एवं कराधान विभाग की ऑफिशियल वैबसाइट से यथा मुद्रित ऐसे इलेक्ट्रॉनिकली किए गए आवेदन की सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी समुचित प्राधिकारी को प्रस्तुत करनी अपेक्षित होगी, ऐसा न होने पर इस प्रकार किया गया आवेदन बिना किसी आगामी सूचना के नामंजूर कर दिया जाएगा ।

———————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 38 of 2011

THE HIMACHAL PRADESH VALUE ADDED TAX (SECOND AMENDMENT) ACT, 2011

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 24TH SEPTEMBER, 2011)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Value Added Tax (Second Amendment) Act, 2011.

2. Amendment of section 4.—In section 4 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in sub-section (6), in clauses (b) and (c), for the figures and signs "2,00,000/-", the figures and signs "4,00,000/-" shall be substituted.

3. Amendment of section 14.—In section 14 of the principal Act, after sub-section (3), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that a dealer may also make such application electronically in the prescribed manner.".

4. Amendment of section 28.—In section 28 of the principal Act, after first proviso, the following second proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that an application for refund of input tax credit and subsequent approval for such refund may also be made electronically in the prescribed manner.".

5. Insertion of new section 56-A.—Procedure to maintain records through electronic data system etc.— (1) For the purpose of effective implementation of the provisions of this Act, the provisions of the Information Technology Act, 2000 and the rules made and directions issued thereunder, relating to digital signatures, electronic governance, attribution, acknowledgement and dispatch of electronic records, secure electronic records, secure digital signatures and digital signature certificates shall apply *mutatis mutandis*.

(2) Where any notice, communication or intimation is prepared on any electronic data processing system and is properly served on any dealer or person, the said notice, communication or intimation shall not be required to be personally signed by any officer or person and the said notice, communication or intimation shall not be deemed to be invalid on the ground that it is not personally signed by such officer or person.

(3) Any person or dealer who make an on-line application under any of the provisions of this Act, shall be required to make such application under his digital signature:

Provided that where such application is filed without affixing digital signature the said person or dealer shall be required to submit to the appropriate authority, a duly signed hard copy of such electronically made application as printed from the official website of the Excise and Taxation Department, Government of Himachal Pradesh within seven days of making an on-line application, failing which the application so made shall be rejected without any further notice.

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 27 सितम्बर, 2011

संख्या एल0 एल0 आर0–डी0(6)–24 / 2011–लेज.–हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 24–9–2011 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह)विलास–वस्तुएं संशोधन विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्यांक 22) को वर्ष 2011 के अधिनियम संख्यांक 39 के रूप में संविधांन के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करती हैं।

आदेश द्वारा,

अवतार चन्द डोगरा,
प्रधान सचिव (विधि)।

2011 का अधिनियम संख्यांक 39

हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास–वस्तुएँ कर संशोधन अधिनियम, 2011

(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 24 सितम्बर, 2011 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास–वस्तुएँ कर अधिनियम, 1979 (1979 का अधिनियम संख्यांक 15) का और संशोधन करने के लिए **अधिनियम ।**

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :––

1. **संक्षिप्त नाम.––**इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास–वस्तुएँ कर संशोधन अधिनियम, 2011 है ।

2. धारा 5–क का संशोधन.––हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास–वस्तुएँ कर अधिनियम, 1979 (जिसे इसमें इसके पश्चात ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 5–क की उप धारा (2) में, ''आवेदन'' शब्द के पश्चात् ''या तो मैनुॲली या इलेकट्रॉनिकली'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

3. धारा 6 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 6 की उप धारा (1) में, ''जमा करेगा'' शब्दों से पूर्व ''या तो मैनुअली या इलेकट्रॉनिकली'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

4. धारा 6–क का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 6–क में, ''उपबन्ध कर सकेगी'' शब्दों से पूर्व ''या तो मैनुॲली या इलेकट्रॉनिकली'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

5. धारा 6–घ का अन्तःस्थापन.––मूल अधिनियम की धारा 6–ग के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:––

''6–घ इलेकट्रॉनिक डाटा पद्धति आदि के माध्यम से अभिलेखों के अनुरक्षण के लिए प्रक्रिया– (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रभावी कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए, प्रक्रिया से सम्बन्धित, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्ध और जारी किए गए निदेश यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

(2) जहाँ कोई सूचना, संसूचना या प्रज्ञापन किसी इलेकट्रॉनिक डाटा प्रक्रिया पद्धति द्वारा तैयार किया गया है और जिसकी तामील किसी व्यौहारी या व्यक्ति पर समुचित रूप से कर दी गई है तो उक्त सूचना, संसूचना या प्रज्ञापन को किसी अधिकारी या व्यक्ति द्वारा व्यैक्तिक रूप से हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित नहीं होगा और उक्त सूचना, संसूचना या प्रज्ञापन इस आधार पर अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा कि उसे ऐसे अधिकारी या व्यक्ति द्वारा व्यैक्तिक रूप से हस्ताक्षरित नहीं किया गया है ।

(3) कोई भी व्यक्ति या व्यौहारी, जो इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध के अधीन ऑन लाइन आवेदन करता है, तो उससे ऐसा आवेदन अपने अंकीय चिह्नंक के अधीन करना अपेक्षित होगा :

परन्तु जहाँ ऐसा आवेदन किसी अंकीय चिह्नंक को लगाए बिना दायर किया गया है तो उक्त व्यक्ति या व्यौहारी से, ऑन लाइन आवेदन करने के सात दिन के भीतर हिमाचल प्रदेश सरकार के आबकारी एवं कराधान विभाग की ऑफिशियल वैबसाइट से यथा मुद्रित ऐसे इलेकट्रॉनिकली किए गए आवेदन की सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी समुचित प्राधिकारी को प्रस्तुत करनी अपेक्षित होगी, ऐसा न करने पर इस प्रकार किया गया आवेदन बिना किसी आगामी सूचना के नामंजूर कर दिया जाएगा।

(4) व्यौहारी जो अपेक्षित अनुसंलग्नकों सहित विवरणी(यों) को इलेकट्रॉनिकली दायर करता है, वह उसे (उन्हें) अपने अंकीय चिह्नंक लगाकर अधिप्रमाणित करेगा :

परन्तु जहाँ ऐसी विवरणी(यों) को किसी अंकीय चिन्ह को लगाए बिना दायर किया गया है तो उक्त व्यौहारी से, ऐसी विवरणी (यों) को दायर करने की अन्तिम तारीख के पन्द्रह दिन के भीतर हिमाचल प्रदेश सरकार के आबकारी एवं कराधान विभाग की ऑफिशियल वैबसाइट से सम्यक् रूप से मुद्रित ऐसे इलेकट्रॉनिकली दायर की गई विवरणी(यों) की सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी समुचित प्राधिकारी को प्रस्तुत करनी अपेक्षित होगी । यदि ऐसा व्यौहारी ऐसा करने में असफल रहता है तो, उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात, वह इस अधिनियम के अधीन देय और उसके द्वारा संदेय विलास–वस्तु कर की रकम के डेढ़ गुणा से अनधिक की राशि शास्ति के रूप में संदेय करने के लिए दायी होगा ।''।

6. धारा 8 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 8 में, ''उप–आबकारी और कराधान आयुक्त को'' शब्दों के पश्चात् ''या तो मैनुअली या इलैक्ट्रॉनिकली'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

7. धारा 12 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 12 में, ''सूचना की तामील'' शब्दों के पश्चात् ''या तो मैनुअली या इलैक्ट्रॉनिकली'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 39 of 2011

THE HIMACHAL PRADESH TAX ON LUXURIES (IN HOTELS AND LODGING HOUSES) AMENDMENT ACT, 2011

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 24TH SEPTEMBER, 2011)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Act, 1979 (Act No. 15 of 1979).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty- second Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Amendment Act, 2011.

2. Amendment of section 5-A.—In section 5-A of the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Act, 1979, (hereinafter referred to as the " principal Act"), in sub-section (2), after the words "an application", the words "either manually or electronically" shall be inserted.

3. Amendment of section 6.—In section 6 of the principal Act, in sub-section (1), after the words "shall deposit", the words "either manually or electronically" shall be inserted.

4. Amendment of section 6-A.—In section 6–A of the principal Act, after the words "may make", the words "either manually or electronically" shall be inserted.

5. Insertion of new section 6-D.—After section 6-C of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely :—

"6-D. *Procedure to maintain records, through electronic data system etc.*- (1) For the purpose of effective implementation of the provisions of this Act, the provisions of the Information Technology Act, 2000 and the rules made and directions issued thereunder, relating to procedure shall apply *mutatis mutandis*.

(2) Where any notice, communication or intimation is prepared on any electronic data processing system and is properly served on any dealer or person, the said notice, communication or intimation shall not be required to be personally signed by any officer or person and the said notice, communication or intimation shall not be deemed to be invalid on the ground that it is not personally signed by such officer or person.

(3) Any person or dealer who makes an on-line application under any of the provisions of this Act, shall be required to make such application under his digital signature:

Provided that where such application is filed without affixing digital signature, the said person or dealer shall be required to submit to the appropriate authority, a duly signed hard copy of such electronically made application as printed from the official website of the Excise and Taxation Department, Government of Himachal Pradesh within seven days of making an on-line application, failing which the application so made shall be rejected without any further notice.

(4) The dealer who files return(s) alongwith the requisite enclosures electronically, shall authenticate the same by affixing his digital signatures :

Provided that where such return(s) is filed without affixing digital signature, the said dealer shall be required to submit to the appropriate authority, a duly signed hard copy of such electronically filed return(s) duly printed from the official website of the Excise and Taxation Department, Government of Himachal Pradesh within fifteen days of the last date for filing of such return(s). If such dealer fails to do so, he shall be liable to pay, by way of penalty, a sum not exceeding one and a half times of the amount of luxury tax due and payable by him under this Act, after affording him a reasonable opportunity of being heard.

6. Amendment of section 8.—In section 8 of the principal Act, after the words "Deputy Excise and Taxation Commissioner", the words "either manually or electronically" shall be inserted.

7. Amendment of section 12.—In section 12 of the principal Act, after the words "may be served", the words "either manually or electronically" shall be inserted.

———

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 29 सितम्बर, 2011

संख्या एल0 एल0 आर0–डी0(6)–19 / 2011–लेज.–हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 24–9–2011 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश अग्रक्रय (निरसन) विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्यांक 18) को वर्ष 2011 के अधिनियम संख्यांक 40 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करती हैं।

आदेश द्वारा,

अवतार चन्द डोगरा,
प्रधान सचिव (विधि)।

————

हिमाचल प्रदेश अग्रक्रय (निरसन) अधिनियम, 2011

धाराओं का क्रम

धारा :

1. संक्षिप्त नाम ।
2. निरसन और व्यावृत्तियां।

2011 का अधिनियम संख्यांक 40

हिमाचल प्रदेश अग्रक्रय (निरसन) अधिनियम, 2011

(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 24 सितम्बर, 2011 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश अग्रक्रय अधिनियम, 2010 (2011 का अधिनियम संख्यांक 10) का निरसन करने के लिए **अधिनियम ।**

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. **संक्षिप्त नाम.––**इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अग्रक्रय (निरसन) अधिनियम, 2011 है।

2. **निरसन और व्यावृत्तियां.––**(1) हिमाचल प्रदेश अग्रक्रय अधिनियम, 2010 (2011 का 10) का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है :

परन्तु ऐसा निरसन–

(क) इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या की गई किसी कार्रवाई;
(ख) इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन पारित किसी डिक्री और जो अंतिम हो गई हो;
(ग) इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन किए गए निक्षेप के प्रतिदाय हेतु किसी दावे या दी गई किसी प्रतिभूति; या
(घ) इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन लागत के निर्वहन में उपगत किसी व्यय को, प्रभावित नहीं करेगा।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन, निष्पादन कार्यवाहियों सहित समस्त दावे, अपीलें और अन्य कार्यवाहियां, जो किसी न्यायालय या अपीलीय या पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष लंबित हैं, इस प्रकार निरसित अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निपटाई जाएंगी, मानो यह अधिनियम निरसित न किया गया हो।

———————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH PRE-EMPTION (REPEAL) ACT, 2011

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections :

1. Short title.
2. Repeal and savings.

———————

Act No. 40 of 2011

THE HIMACHAL PRADESH PRE-EMPTION (REPEAL) ACT, 2011

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 24TH SEPTEMBER, 2011)

AN

ACT

to repeal the Himachal Pradesh Pre-emption Act, 2010 (Act No.10 of 2011).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Pre-emption (Repeal) Act, 2011.

2. Repeal and savings.—(1) The Himachal Pradesh Pre-emption Act, 2010 (10 of 2011) is hereby repealed :

Provided that such repeal shall not affect—

(a) anything done or any action taken under the Act so repealed;
(b) any decree which has been passed under the Act so repealed and has become final;

(c) any claim for the refund of the deposit made or a security furnished under the Act so repealed; or

(d) any expenditure incurred in the discharge of cost under the Act so repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all suits, appeals and other proceedings, including execution proceedings under the Act so repealed, pending before any court or appellate or revisional authority, shall be disposed off in accordance with the provisions of the Act so repealed, as if the Act has not been repealed.

———

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 29 सितम्बर, 2011

संख्या एल0 एल0 आर0–डी0(6)–18 / 2011–लेज.–हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 24–9–2011 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्यांक 20) को वर्ष 2011 के अधिनियम संख्यांक 41 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करती हैं।

आदेश द्वारा,

अवतार चन्द डोगरा,
प्रधान सचिव (विधि)।

———

2011 का अधिनियम संख्यांक 41

हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व (संशोधन) अधिनियम, 2011

(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 24 सितम्बर, 2011 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) का और संशोधन करने के लिए **अधिनियम।**

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. **संक्षिप्त नाम.**––इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व (संशोधन) अधिनियम, 2011 है।

2. **धारा 34 का संशोधन.**––हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 34 में,–

(क) उपधारा (1) में, ''प्रत्येक सम्पदा के पटवारी से'' शब्दों के स्थान पर ''प्रत्येक सम्पदा के सम्बद्ध राजस्व अधिकारी से'' शब्द रखे जाएंगे।

(ख) उपधारा (3) में, ''प्रत्येक सम्पदा के पटवारी'' शब्दों के पश्चात् ''और राजस्व अधिकारी'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

3. **धारा 35 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 35 में,–

(क) उपधारा (1) में, ''पटवारी'' शब्द के पश्चात् ''या सम्बद्ध राजस्व अधिकारी'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) में, ''पटवारी'' शब्द के पश्चात् ''या सम्बद्ध राजस्व अधिकारी'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(ग) उपधारा (3) में, ''पटवारी'' शब्द के स्थान पर ''यथास्थिति, पटवारी या राजस्व अधिकारी'' शब्द रखे जाएंगे; और

(घ) उपधारा (5) में, ''पटवारी'' शब्द के पश्चात् ''या राजस्व अधिकारी'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

———

Act No. 41 of 2011

THE HIMACHAL PRADESH LAND REVENUE (AMENDMENT) ACT, 2011

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 24TH SEPTEMBER, 2011)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act No. 6 of 1954).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Land Revenue (Amendment) Act, 2011.

2. Amendment of section 34.—In section 34 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (hereinafter referred to as 'the principal Act'),-

(a) in sub-section (1), for the words "by the Patwari of each estate" the words "by the Revenue Officer concerned for each estate", shall be substituted; and

(b) in sub-section (3), after the words "each estate", the words "and the Revenue Officer" shall be inserted.

3. Amendment of section 35.—In section 35 of the principal Act,-

(a) in sub-section (1), after the words "of the estate", the words "or the Revenue Officer concerned" shall be inserted;

(b) in sub-section (2), after the words "to the patwari", the words "or the Revenue Officer concerned" shall be inserted;

(c) in sub-section (3), after the words "The patwari", the words and signs "or the Revenue Officer, as the case may be," shall be inserted; and

(d) in sub-section (5), after the words "to the patwari", the words "or the Revenue Officer" shall be inserted.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA–171001

NOTIFICATION

Shimla-1, 21st September, 2011

No. HHC/Admn. 3 (221)/86.—03 days commuted leave on and *w.e.f* 06.09.2011 to 08.09.2011 is hereby sanctioned, *ex post facto,* in favour of Shri Ravinder Sharma, Court Master of this Registry.

Certified that Shri Ravinder Sharma has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Ravinder Sharma would have continued to officiate the same post of Court Master but for his proceeding on leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA–171001

NOTIFICATION

Shimla-1, 17th September, 2011

No. HHC/Admn. 3(394)/95.—05 days commuted leave on and *w.e.f* 05.09.2011 to 09.09.2011 with permission to affix Sundays, Second Saturday falling on 4th, 10th and 11th September, 2011 is hereby sanctioned, *ex post facto,* in favour of Smt. Santosh Negi, Court Master of this Registry.

Certified that Smt. Santosh Negi has joined the same post and at the same station from where she had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Smt. Santosh Negi would have continued to officiate the same post of Court Master but for her proceeding on leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA–171001

NOTIFICATION

Shimla-1, 24th September, 2011

No. HHC/Admn. 3(111)/77-I.—11 days earned leave on and with effect from 10.10.2011 to 20.10.2011 with permission to prefix Sunday, Dussehra Holidays, Second Saturday and Sunday falling from 2.10.2011 to 9.10.2011 is hereby sanctioned in favour of Shri J. D. Sharma, Deputy Registrar (Accounts) of this Registry.

Certified that Sh. J. D. Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri J. D. Sharma, would have continued to officiate the same post of Deputy Registrar (Accounts) but for his proceeding on leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

———

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA–171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 20th September,2011

No. HHC/GAZ/14-317/2010.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant six days earned leave *w.e.f* 10.10.2011 to 15.10.2011 with permission to prefix Sunday, Dussehra holidays, Second Saturday and Sunday falling from 2.10.2011 to 9.10.2011 and suffix Sunday falling on 16.10.2011 in favour of Shri Sandeep Singh Sihag, Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Chopal District Shimla, H. P.

Certified that Shri Sandeep Singh Sihag is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Sandeep Singh Sihag would have continued to hold the post of the Civil Judge(Junior Division)-*cum*-JMIC, Chopal but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

———

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA –171001

NOTIFICATION

Shimla, the 20th September, 2011

No. HHC/GAZ/14-317/2010.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant six days earned leave *w.e.f* 10.10.2011 to 15.10.2011 with permission to prefix Sunday, Dussehra

holidays, Second Saturday and Sunday falling from 2.10.2011 to 9.10.2011 and suffix Sunday falling on 16.10.2011 in favour of Shri Sandeep Singh Sihag, Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Chopal District Shimla, H. P.

Certified that Shri Sandeep Singh Sihag is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Sandeep Singh Sihag would have continued to hold the post of the Civil Judge (Junior Division)-*cum*-JMIC, Chopal but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 23rd September, 2011

No. HHC/Admn. 16 (34) 89-I.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Sh. Shiv Kumar, Advocates Chamba as Oath Commissioner at Chamba, H.P. for a period of two years,with immediate effect, for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents, under the aforesaid Codes and Rules.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 17th September, 2011

No. HHC/Admn. 16 (13) 74-VII.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners(Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Sh. Thakur Sain, Shri Bhim Dutt, Ms. Pooja Sharma, Shri Prashant Sen and Shri Arvind Kumar, Advocates of Shimla as Oath Commissioners at Shimla for a period of two years, with effect from 24.09.2011, for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents, under the aforesaid Codes and Rules.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 24th September, 2011

No. HHC/Admn. 6 (23) 74-XIV.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him under Rule 2(32) of Chapter 1, of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare the Civil Judge (Senior Division)-*cum*-Chief Judicial Magistrate, Chamba, as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of the Civil Judge (Senior Division)-*cum*-Additional Chief Judicial Magistrate, Chamba and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of the establishment attached to the aforesaid Court under head "2014-Administration of Justice" with immediate effect till the new Presiding Officer is transferred and posted there.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 19th September, 2011

No. HHC/Admn. 6 (24) 74-VIII.—The High Court of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested U/S 12(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973, has been pleased to appoint Civil Judge (Junior Division)-*cum*-JMIC, Anni *w.e.f* 2.10.2011 to 5.10.2011 and Civil Judge (Junior Division)-cum JMIC, Rampur Bushahr *w.e.f* 6.10.2011 to 9.10.2011 as Additional Chief Judicial Magistrates for Kinnaur Sessions Division enabling them to look after the urgent work pertaining to the Kinnaur Civil and Sessions Division.

By order,
Sd/-
Registrar General.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित